न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 61/2020

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

1. चिमाराम पुत्र डूंगराराम
2. पूराराम पुत्र डूंगराराम
3. खेराजराम पुत्र डूंगराराम
4. गोमी पत्नी डूंगराराम

जाति प्रजापत निवासी रामदेरिया पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर

1. चूनाराम पुत्र हीराराम
2. मुकनाराम पुत्र हीराराम
3. तिलाराम पुत्र हीराराम
4. रूगाराम पुत्र हीराराम
5. वीराराम पुत्र जयराम
6. बाबूलाल पुत्र जयराम
7. कुम्भाराम पुत्र जयराम
8. पुरखाराम पुत्र जयराम
9. देवाराम पुत्र जयराम
10. रूपाराम पुत्र जयराम
11. उम्मेदाराम पुत्र जयराम
12. मथरीदेवी पत्नी जयराम
13. मानाराम पुत्र अचलाराम

जाति प्रजापत निवासी रामदेरिया तहसील व जिला बाड़मेर

14. तहसीलदार बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2016/149–151 दिनांक 11.05.2016 जो अपीलांट्स व उत्तरदाता सं. 1से13 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेम प्रजापत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री दानसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स सं0 1 से 13 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 14 प्रफामी पक्षकार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:36 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 10.08.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 11.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा रामदेरिया के खेत खसरा नम्बर 5, 6, 7 रकबा क्रमशः 00–15, 00–09, 130–04 बीघा भूमि के खातेदारान चिमा, पूरा, खेराज पि0 डूंगराराम, गोमी बेवा डूंगराराम, वीराराम, बाबूलाल, कुंभाराम, पुरखाराम, देवाराम, रूपाराम, अम्मेदाराम पि0 जयराम, मथरी पत्नी जयराम, हीराराम, मानाराम पि0 अचला कौम कुम्हार सा0 देह ने राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2016 के तहत आयोजित शिविर में दिनांक 11.05.2016 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी खुडासा द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि वर्तमान जमाबन्दी मौजा रामदेरिया के खाता संख्या 19 खसरा न. 5, 6, 7 कुल रकबा 131–08 बीघा का विभाजन प्रस्ताव संलग्न नक्शा एवं इकरारनामा अनुसार सही हैं, मौके पर उक्त खातेदारान इसी अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक खातेदार का रकबा व लगान हिस्से के अनुसार सही हैं तथा सभी खातेदारान इससे सहमत हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2016 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.11.2020 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अ[illegible] निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स [illegible] नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:36 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। इस पर अपीलांट्स ने समस्त खसरों में मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार व आने–जाने हेतु सार्वजनिक रास्ते रखते हुए भूमि का बंटवाड़ा करवाने की सहमति दी। अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स ने हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर विश्वास कर विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति इकरारनामा व नक्शा के साथ तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश हुए। रेस्पोडेंट्स द्वारा हल्का पटवारी को प्रभाव में लेकर अपने हिसाब से विभाजन प्रस्ताव तैयार कराया एवं अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स द्वारा नक्शे पर किये गये हस्ताक्षर व अंगुष्ट निशान पश्चात तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश किया। हल्का पटवारी द्वारा इस विभाजन प्रस्ताव में खसरा संख्या 7 में से 06–08 बीघा अपने स्तर से ही राजस्थान सरकार के नाम से रखते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया। इतनी अधिक भूमि रास्ते के रूप में रखने का अपीलांट्स को कोई ज्ञान नही होने दिया तथा विभाजन आवेदन तहसीलदार बाड़मेर से तस्दीक करवा दिया। इस प्रकार तहसीलदार बाड़मेर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की हैं जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वारा शिविर में अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से बाहमी बंटवाड़ा अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया तथा पक्षकारान ने सड़क तक आने–जाने हेतु मात्र 10–12 फीट चौड़े रास्ते के रूप में शामलाती रखने का निवेदन किया था। हल्का पटवारी ने मौके का फायदा उठाते हुए बिना समर्पण की कार्यवाही किये ही मूल खसरा न. 07 में से 06–08 बीघा भूमि राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज करवा दी तथा बाद में समर्पित भूमि का उल्लेख करते हुए राजस्व जमाबन्दी में अंकन कर दिया। पक्षकारान द्वारा उक्त रास्ते हेतु किसी प्रकार का भूमि समर्पण नहीं किया तथा इतनी अधिक भूमि करीब 75 फीट चौडे मार्ग के रूप में रखी हैं जिस कारण भी उक्त विभाजन आदेश अपास्त योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:36 IST
Reason: SelfAttested

6. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया हैं कि इस अपीलाधीन विभाजन समझौता प्रस्ताव व नक्शे का ज्ञान अपीलांट्स कम जानकार होने के कारण उस समय नहीं हुआ तथा वर्तमान में अर्सा 20–25

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिन पूर्व हल्का पटवारी द्वारा मौके पर आकर अपीलांट्स के खेत में 75 फीट चौड़ा रास्ता निकालने की कार्यवाही की तब कारण पूछने पर बताया कि विभाजन के समय इतना बड़ा रास्ता रखा गया था तथा भूमि राज्य सरकार के नाम से समर्पण है। इस पर अपीलांट्स ने उक्त अपीलाधीन विभाजन आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 19.11.2020 को प्राप्त की तथा अपीलांट्स को उक्त गलत विभाजन एवं मनमर्जी से रास्ता बंटवाड़ा में रखे जाने की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने से सम्यक तत्परता से यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं फिर भी सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 11.05.2016 निरस्त करते हुए विवादित भूमि का नये सिरे से पक्षकारान के कब्जे–काश्त व बाहमी बंटवाड़ा अनुसार विभाजन किये जाने एवं सभी पक्षकारान को मार्ग से जोड़ते हुए शामलाती 10 फीट चौड़ा रास्ता रखते हुए विभाजन किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

7. रेस्पोडेंट्स सं. 1से13 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपीलांट्स की अपील की ताईद की गई तथा अपीलाधीन विभाजन आदेश को निरस्त कर पुनः नये सिरे विभाजन कराये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

8. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा रामदेरिया के खेत खसरा नम्बर 5, 6, 7 रकबा क्रमशः 00–15, 00–09, 130–04 बीघा भूमि के खातेदारान चिमा, पूरा, खेराज पि0 डूंगराराम, गोमी बेवा डूंगराराम, वीराराम, बाबूलाल, कुंभाराम, पुरखाराम, देवाराम, रूपाराम, अम्मेदाराम पि0 जयराम, मथरी पत्नी जयराम, हीराराम, मानाराम पि0 अचला कौम कुम्हार सा0 देह ने राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2016 के तहत आयोजित शिविर में दिनांक 11.05.2016 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार [illegible] से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का [illegible] किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी [illegible] प्रस्तुत की गई कि वर्तमान जमाबन्दी मौजा रामदेरिया के खाता संख्या 19 खसरा न. 5, 6, 7 कुल रकबा 131–08 बीघा का विभाजन प्रस्ताव संलग्न नक्शा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:36 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

इकरारनामा अनुसार सही हैं, मौके पर उक्त खातेदारान इसी अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक खातेदार का रकबा व लगान हिस्से के अनुसार सही हैं तथा सभी खातेदारान इससे सहमत हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2016 पारित किया गया। अपीलांट्स द्वारा राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार अभियान–2016 में उक्त विभाजन कराने के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के 4 वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। यद्यपि रेस्पोडेंट्स द्वारा हस्तगत अपील में अपीलांट्स के कथनों की ताईद की हैं किन्तु अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से स्वंय अंगुठा/हस्ताक्षर कर विभाजन के लिये आवेदन किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स को बंटवाड़े व रास्ते की भूमि की सम्पूर्ण जानकारी होना प्रतीत होता हैं। अतः अपीलांट्स का यह कहना कि रास्ते सम्बन्धी तथ्य उनकी जानकारी में नही थे, उचित प्रतीत नही होता है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध लगभग 4 साल बाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं तथा विलम्ब के सम्बन्ध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक कारण नहीं दर्शाया हैं। इस प्रकार अपीलांट्स की यह अपील मयाद बाधित होने से खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:36 IST
Reason: SelfAttested